कार्यालय हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

संख्याः 1711 /प्रशा02(क)/2024–25 दिनांक 23 जून, 2025

सार्वजनिक सूचना

उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड भूमि संयोजन योजना (कियान्वयन) नियम–2015 यथासंशोधित 2016 के अन्तर्गत हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार को अपनी विकास योजनाओं हेतु भूमि संयोजन हेतु भूमि का चयन हरिद्वार–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 334 पर पर 2.5 किमी0 दांये और बायें एवं गंगा कैनाल के अंदर इन दो बिन्दुओं के मध्य किया जायेगा :–

क. देहरादून–दिल्ली एक्सप्रेस वे का राष्ट्रीय राजमार्ग 334 पर ड्रॉप प्वाइंट बढ़ेड़ी राजपूतान (अक्षांश, देशांश) (Latitude, Longitude) (29.901464,77.967858)

ख. राष्ट्रीय राजमार्ग 334 से राष्ट्रीय राजमार्ग 34 को जाने वाली रिंग रोड के प्रारम्भ बिन्दु ग्राम मनोहरपुर
(अक्षांश, देशांश) (Latitude, Longitude) (29.912384,78.040073)

उक्त बिन्दु क एवं ख के मध्य स्थित ग्राम सभाओं यथा–मनोहरपुर, अतमलपुर बौंगला, खेड़ली, बेगमपुर, बहादरपुर सैनी, बडेढ़ी राजपूताना, मूलदासपुर उर्फ माजरा, रोहालकी किशनपुर, शांतरशाह, बाबली कलंजरी, पंचायनुपर, भौंरी तथा भारापुर के ऐसे भू–धारक (व्यक्ति/व्यक्तियों/संस्थाओं) जो कि विकसित भूमि का विकल्प चाहते है, से उत्तराखण्ड भूमि संयोजन योजना (कियान्वयन) नियम–2015 यथासंशोधित 2016 की व्यवस्था के अन्तर्गत प्ररूप 9.1 पर आवेदन निकट भविष्य में शीघ्र ही आमंत्रित किये जायेंगे।

उक्त भूमि संयोजन हेतु प्ररूप 9.1(आशय की घोषणा की सूचना) का प्रकाशन समाचार पत्रों एवं प्राधिकरण की वेबसाइट पर किया जायेगा। प्ररूप 9.1 के प्रकाशन उपरान्त निर्धारित प्ररूप पर आवेदन 30 दिवस के अन्दर अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, निकट तुलसी चौक, मायापुर, हरिद्वार के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त प्रस्तावों/आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। उत्तराखण्ड भूमि संयोजन योजना (कियान्वयन) नियम–2015 यथासंशोधित 2016 प्राधिकरण की वेबसाइट **www.onlinehrda.com** पर देखी जा सकती है।

23/06/25
सचिव
हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार।

Scanned with CamScanner

कार्यालय हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

संख्याः 2100 / प्रश॥02(क) / 2024–25 दिनांक 10 जुलाई, 2025

विषयः– **सार्वजनिक सूचना प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में।**

सेवा में,

विज्ञापन व्यवस्थापक,
दैनिक अमर उजाला / दैनिक हिन्दुस्तान, हरिद्वार।
(समस्त समाचार पत्रों के लिये हरिद्वार संस्करण)
हरिद्वार।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संलग्न सार्वजनिक सूचना इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि इसे अपने समाचार–पत्र में 12 गुणा 20 सेमी0 कॉलम में प्रकाशित कराते हुए प्रकाशन तिथि में समाचार पत्र की प्रति एवं बिल भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों मे प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(मनीष कुमार सिंह)
सचिव

प्रतिलिपिः–

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. श्री बृजेश कुमार उपाध्याय, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ह0रू0वि0प्रा0, हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि संलग्न सार्वजनिक सूचना तथा उत्तराखण्ड भूमि संयोजन योजना (क्रियान्वयन) नियम–2015 यथासंशोधित 2016 एवं संलग्न प्रपत्र को प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. तहसीलदार हरिद्वार एवं रूड़की को इस आशय से कि संलग्न सूचना को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
4. मुख्यालय / शाखा कार्यालय रूड़की तथा कार्यालय तहसील–हरिद्वार व रूड़की के सूचना पट्ट पर चस्पा किये जाने हेतु।

सचिव

कार्यालय, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

संख्याः– 2100 प्रशा0–2(क) / 257 / 2025–26

दिनांक 10.07.2025

प्रारुप 9.1

{नियम 6(2) के अधीन}

आशय की घोषणा की सूचना आपत्तियों और सुझावों का आमंत्रण संक्रमणीय अधिकार वाले भू स्वामियों ओर व्यक्तियों द्वारा भू संयोजन योजना को लिये जाने के लिए आवेदनों का आमंत्रण

1. सदर्भो के अनुसरण में विकास प्राधिकरण भूमि संयोजन योजना के लिए अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अधिसूचित करने के आशय की सूचना करता है और इसके लिए
(एक) इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर हितबद्ध व्यक्तियों के प्ररूप 9.2 में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करती है, और
(दो) अनुसूची तीन पर भूमि संयोजन योजना के लिए शर्तो और निर्बन्धनों तथा निबन्दुओं तथा मुख्य प्राधिकरण / सरकार / भूमि स्वामियों के उत्तरदायित्व तथा कृत्य योजना की प्रक्रिया मुख्य उदेश्य और अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में संयोजना योजना में सहमति व्यक्त करने के लिए प्रतिभाग करने वाले से अनुसूचति यप में विदिर्दिष्ट भूमि हेतु प्ररूप 9.3 में संक्रमणीय अधिकार वाले भू–धारकों के भूमि स्वामियों / व्यक्तियों के इच्छुक आवेदन पत्र आमंत्रित करते है। आवेदन पत्र ग्राम में इस अधिसूचना की प्रकाशन तारीख 30 दिन के भीतर विकास प्राधिकरण के पास पहुंचाने होंगे।
2. भूमि संयोजन योजना के लिए विकास प्राधिकरण के कार्यालय पर कार्यावलि और प्राधिकरण की वेबसाइट पर इसकी सूचना भू–स्वामियों के निरीक्षण के लिए प्रसारित भू–सयोजन योजना की प्रति रखी जायेगी।
3. विकास प्राधिकरण योजना के विवरण को स्पष्ट करने के कम में नीचे दिये गये ग्राम को अंशधारक ग्रामवासियों का संचालन करेगा।

तारीख	समय	राजस्व ग्राम	ग्राम पंचायत	अधिवासी	स्थल
24.07.2025	प्रातः 11.00 बजे से 2.00 बजे तक	बहादरपुर सैनी, तहसील–रूड़की	बहादरपुर, सैनी	–	शाखा कार्यालय, हरिद्वार – रूड़की विकास प्राधिकरण, नहर पटरी पीर बाबा रोड़, हिमालयन गेस्ट हाउस, रूड़की।
		शान्तरशाह, तहसील–रूड़की	बढेडी राजपूताना	–	
		बढेडी राजपूताना, तहसील–रूड़की	बढेडी राजपूताना	–	
		मूलदासपुर उर्फ माजरा, तहसील–रूड़की	मूलदासपुर उर्फ माजरा	–	
		बावली कलंजरी, तहसील–रूड़की	भौरी	–	
		पंचायनपुर, तहसील–रूड़की	भौरी	–	
		मारापुर, तहसील–रूड़की	भारापुर	–	
		भौंरी, तहसील–रूड़की	भौरी	–	
25.07.2025	प्रातः 11.00 बजे से 2.00 बजे तक	मनोहरपुर, तहसील–हरिद्वार	अतमलपुर, बौंगला	–	हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, मायापुर, हरिद्वार।
		अतमलपुर तहसील–हरिद्वार	अतमलपुर, बौंगला	–	
		खेडली, तहसील–हरिद्वार	खेड़ली	–	
		बेगमपुर, तहसील–हरिद्वार	खेड़ली	–	
		रोहालकी किशनपुर, तहसील–हरिद्वार	रूहालकी	–	

4. निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले कोई आपत्तियों या सुझाव या प्रस्तावित भूमि में प्रेषक के हित की प्रकृति को स्पष्ट रूप से उल्लिखित न करने पर आवदेन पत्र सरसरी तौर पर खारिज कर दिये जायेगें।
5. निर्धारित तिथि के भीतर प्राप्त होने वाली आपत्तियॉ और सुझाव दिनांक को बजे पर सबंधित आपत्तिकर्ता को स्वयं उपस्थित होने अथवा अधिवक्ता के साथ उपस्थित होने के लिए मौखिक या अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जायेगा।
6. हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त गांवों के सम्पूर्ण क्षेत्र को आवासीय / व्यवसायिक योजना विकसित करने हेतु उत्तराखण्ड भूमि संयोजन योजना (कियान्वयन) (संशोधन) नियम 2016 के तहत लिये जाने के लिये प्रस्तावित किया जा रहा है। योजना के तहत संक्रमणीय / गैर संक्रमणीय भू–धारकों के भू–स्वामियों वैयक्तियों को उपलब्ध होने वाले एक मुश्त क्षतिपूर्ति तथा अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु प्राधिकरण की वेबसाइट एवं हरिद्वार स्थित कार्यालय तथा रूड़की स्थित शाखा कार्यालय में देखा जा सकता है।
(एक) प्ररूप 9.2 में प्रस्तुत आपत्तियां / सुझाव
(दो) प्ररूप 9.3 में संक्रमणीय अधिकार वाले भू धारकों भू–स्वामियों के व्यक्तियों से सहमति आवेदन पत्र।
उक्त दोनों प्ररूप प्राधिकरण की वेबसाइट www.onlinehrda.com से अपलोड की जा सकती है।

(मनीष कुमार सिंह)
सचिव